दिनांक 24–09–2015 को माननीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की सातवीं बैठक की कार्यवाही ।

———————————————————————————————————

बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों की सूची अनुबन्ध ''क'' पर संलग्न है । सर्व प्रथम बैठक में सचिव (सा0न्याय एवं अधि0) हि0प्र0 ने मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, आवकारी एवं कराधान मन्त्री महादेय, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0 सरकार, माननीय अध्यक्ष State Finance Commission माननीय उपाध्यक्ष हि0प्र0 State Planning Board उपाध्यक्ष Small Saving , माननीय विधायक गण, मुख्य सचिव महोदय हि0प्र0 सरकार तथा बैठक में उपस्थित समस्त विभागाध्यक्ष, सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया । तदोपरांत माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, आवकारी एवं कराधान मन्त्री,अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, मुख्य संसदीय सचिव, विधायक गण, मुख्य सचिव, हि0प्र0 सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने अपने स्वागत भाषण में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन योजनाओं तथा सुविधाओं बारे अपने समुदाय को अवगत करवायें । इसके अतिरिक्त उन्होंने गैर–सरकारी सदस्यों से अपने समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिये सुझाव भी आमन्त्रित किये ।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ की जिसमें निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा की गई :–

मद संख्याः—(1). हिमाचल प्रदेश में सन 1977 में कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब लोगों को भूमि के प्लाट स्वीकृत किये गये थे उनमें से काफी लोगों के इन्तकाल नहीं हुए हैं। कृप्या इस सन्दर्भ में शीघ्र ही कार्यवाही की जाये।

(श्री सन्तोष कुमार, पूर्व प्रधान ग्रम पुबोवाल, ऊना)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्व विभाग के पत्र संख्याः 9—13/ 71 —रैव0 बी —V दिनांक 05—10—2006 द्वारा पहले ही समस्त उपायुक्तों को आदेश जारी किए जा चुके हैं जिन लोगों को विभिन्न स्कीमों अथवा रूल्ज के अन्तर्गत भूमि आबंटित की गई थी, ऐसे मामलों में अलाटी के नाम भूमि का नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करवाया जाए तथा जंहा पट्टा जारी नहीं किया गया है वहां नियमानुसार पट्टा जारी किया जाए। वर्तमान समय में सरकार के ध्यान में ऐसा कोई भी मामला नहीं है, जहां अलाटी को आबंटित भूमि का इन्तकाल नहीं हुआ हो।

गैर सरकारी सदस्य ने बताया कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के मामले हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यदि माननीय सदस्य के ध्यान में ऐसे कोई मामले हैं तो वह तहसीलदार के माध्यम से इन मामलों को सरकार को भेजें।

अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त की गई।

मद संख्याः—(2). विवाह उपरान्त महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र पति के पते पर जारी किया जाता है जबकि हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इस सन्दर्भ में सपष्ट निर्देश जारी किए जाये।

(श्री करतार चन्द जस्सल ग्राम सुकाहर तहसील देहरा जिला कांगड़ा)

सदस्य सचिव ने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाणपत्र में पिता का नाम ही दर्शाया जाता है।

गैर सरकारी सदस्य ने अनुरोध किया कि विवाह के उपरान्त महिलाओं को जाति प्रमाणपत्र पति के नाम पर बनाया जाए। अतः चर्चा के दौरान राजस्व विभाग ने गैर सरकारी सदस्य को आश्वस्त किया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को सौफटवेयर में चैंज करने के निर्देश शीघ्र जारी कर दिए जाएगे ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(3). कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगो को 5–5 बीघा जमीन प्रदान करवाई गई थी। अब इन लोगों के परिवार बड़ने कारण इन लोगों के हिस्से में यह भूमि केवल मीटरों तक ही सीमित रह गई है। सरकार से निवेदन है कि अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने हेतु नौतोड़ पुनः बहाल किया जाये।

(श्री खेम चन्द कश्यप, ग्राम घैणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला **)**

सदस्य सचिव ने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार द्वारा भूमिहीन पात्र व्यक्तियों/परिवारों को रिहायशी मकान तामीर करने हेतु ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों में 3/2 बिस्वा भूमि प्रदान करने बारे दिशा निर्देश पत्र संख्याः रैव0बी0एफ0(1)1/2006–1 दिनांक 22 जनवरी, 2014 के तहत जारी किए जा चुके हैं।

भूमिहीन व्यक्तियों को 5–5 बीघा जमीन देने बारे चर्चा के दौरान राजस्व विभाग ने बताया कि फिलहाल नौतोड़ योजना बन्द है। क्योंकि यह नीतिगत मामला है। इस विषय में सरकार स्तर पर विचार करके ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(4). शहर/बाजार तथा सड़क के साथ के कुछ लोग धन के लालच में अपनी पुश्तैनी भूमि को बेच रहे हैं। अतः इस प्रकार की प्रवृति पर सरकार द्वारा अकुंश लगाना चाहिये।

(श्री खेम चन्द कश्यप, ग्राम घैणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला **)**

सदस्य सचिव ने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रकार की प्रवृति पर अंकुश लगाना कानूनन सम्भव नहीं है।

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर राजस्व विभाग में रजीस्ट्री करवाने आते हैं तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यदि वह भूमि सरकार से पहले पट्टे पर तो नहीं मिली है तथा यह भूमि बेचने उपरान्त व स्वयं भूमिहीन तो नहीं हो रहा है इस पकार के मामले में पहले सरकार से अनुमति ली जानी आवश्यक की जाए , ताकि इस प्रकार की प्रक्रीया पर अंकुश लगया जा सके।

अतः मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(5). अनुसूचित जाति की चल अथवा अचल सम्पति एवं भूमि को दूसरे वर्ग के लोग क्रय न कर सके तथा जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी भूमि दूसरे वर्ग के लोगों को बेच दी है वह उन्हें वापिस दिलवाई जाये। सरकार इस बारे कानून बनाए ।

(श्री प्रैमदास, ग्राम ठम्बा, तहसील खुंडिया, जिला कांगड़ा)

सदस्य सचिव ने बातया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार द्वारा इस प्रकार का कानून बनाया जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर राजस्व विभाग में रजीस्ट्री करवाने आते हैं तो राजस्व विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति को किसी दबाव या लालच में आकर अपनी भूमि बचेने पर मजबूर तो नहीं किया जा रहा है तथा यह भूमि बेचने उपरान्त व स्वयं भूमिहीन तो नहीं हो रहा है, ताकि इस प्रकार की प्रक्रीया पर अंकुश लगया जा सके।

अतः मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(6). जाति दरूस्ती की प्रक्रीया सरल की जाए ताकि जाति दुरूस्ती के मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके तथा लोगो को जन–कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

(श्री ओम प्रकाश, ग्राम प्लयूर, चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जाति दरूस्ती की प्रक्रिया का पहले से ही सरल बनाया गया है। तथापित जब भी सरकार के ध्यान में कोई मामला/सुझाव आता है तो उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

चर्चा के दौरान गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि जिला चम्बा में इस प्रकार के मामले लम्बित है। अतः अध्यक्ष महोदय ने उप–मण्डलाधिकारी चम्बा को निर्देश दिए कि इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटाने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लायें।

मद संख्याः–(7). सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरीयों की नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली लागू की जाये।

(श्री सन्तोष कुमार, पूर्व प्रधान ग्रम पुबोवाल, ऊना)

सदस्य सचिव ने बताया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य सरकार के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रौन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण प्रदान करने बारे पोस्ड बेसड आरक्षण रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। पोस्ड बेसड आरक्षण रोस्टर में सभी वर्गो के लिए

रोस्टर बिन्दु निर्धारित किए गए है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाता है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्या</u>:–(8). सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याणार्थ बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है किन्तु पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है जिस कारण पात्र शिक्षित नौजवान इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते है। अतः इन वर्गो के लिए क्रियान्वित <u>योजनाओं में प्रशिक्षण एवं नौकरी में लाभ आय के आधार पर सुनिश्चित किया जाये</u>।

(श्री खेम चन्द कश्यप, ग्राम घैणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला **)**

सदस्य सचिव ने बताया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याणार्थ योजनायें बनाने और उनको क्रियान्वित करने से सम्बन्धित मामला अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग की परिधि में आता है।

चर्चा के दौरान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैठक में बताया कि इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्गो के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन, गृह निर्माण अनुदान, अनुवर्ती कार्यक्रम, छात्रवृति ,अनुशिक्षण तथा कम्पयुटर एपलीकेशन व समवर्गी क्रिया–क्लापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता योजना के अन्तर्गत आय सीमा निर्धारित की गई है ताकि इन योजनाओं का लाभ इन वर्गो के पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय चलाने हेतु 50,000/– रूपये तक 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है।

राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति को आरक्षण जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कार्मिक विभाग द्वारा अवगत करवाया कि अनुसूचित जाति पर क्रीमीलेयर लागू नहीं होता। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग पर क्रीमीलेयर लागू होता है और इस वर्ग को आरक्षण प्रदान करते समय क्रीमीलेयर की शर्तो को ध्यान में रखा जाता है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः—(9). 85 वां संवैधानिक संशोधन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के कर्मचारियों के हक में लागू किया जाये ताकि समाज में इन वर्गो के प्रताड़ित हो रहे कर्मचारियों का उत्थान हो सके।
(श्री अर्जुन सिंह कौण्डल, प्रधान ग्राम पंचायत सुलपुर जवोठ, तहसील सरकाघाट)

सदस्य सचिव ने बातया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सरकार ने 85वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान न करने का निर्णय लिया है। यद्यपि सरकार ने इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित कर्मचारी संगठनों के पक्ष को सुनने एवं विचार करने हेतू एक समिति का गठन किया है। जिसकी सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः—(10). विकास खण्ड फतेहपुर ग्राम पंचायत देव ब्लौक, वार्ड नम्बर 4 जिला कांगड़ा में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 70 प्रतिशत है । अतः हैंड पम्प से मन्दोट, कृष्ण सिंह के घर के साथ लिंक रोड़ का निर्माण किया जाए ।

(श्री मति सन्देश कुमारी, प्रधान ग्राम पंचायत हाड़ा जिला कांगड़ा)

सदस्य सचिव ने बताया कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विभाग में इस प्रयोजन हेतु बजट उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके दृष्टिगत विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने चर्चा उपरान्त उपायुक्त कांगड़ा को राज्य योजना से उक्त कार्य करने हेतु राशि उपलबध करवाने के निर्देश दिये ।

मद संख्याः—(11). विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उपस्थिति का अनुपात कम होने के कारण इनमें अपात्र व्यक्त्यिों का चयन किया जाता है। जिस कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र अनुसूचित जाति के बहुत व्यक्ति योजनाओं का लाभ लने से वंचित रह जाते है। अतः सरकारी योजनाओं में लाभार्थी के चयन का कार्य ग्राम सभाओं के माध्यम से न करवा कर सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान/उप प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य / सचिव/ पंचायत सहायक को सामुहिक रूप में देकर इनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। (श्री वीर चन्द ग्राम लसराना, तहसील सन्धोल जिला मण्डी)

सदस्य सचिव ने बातया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आवास आवंटित करने का प्रावधान है परन्तु चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार द्वारा इन वर्गो के लिए कुल 7064 लक्ष्यों के विरूद्व 178 घरों का आवंटन किया गया है तथा राजीव आवास योजना में अलग माप दण्ड नहीं है। निर्धारित लक्ष्यों व पात्र परिवारों की उपलब्धता के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। दोनों योजनाओं में केवल बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों को ही लाभान्वित करने का प्रावधान है। इन्दिरा आवास योजना में ग्राम सभाओं द्वारा तैयार स्थाई प्रतीक्षा सूचीयों में चयनित परिवारों से लक्ष्य अनुसार गृह निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है जबकि राजीव आवास योजना में लक्ष्यों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है। केवल बी0पी0एल0 परिवारों को इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जा सकता है। अतः इन योजनाओं में सहायता राशि प्राप्त करने हेतु परिवार का बी0पी0एल0 की सूचि में चयन होना आवश्यक है तथा पात्र परिवारों के नाम ग्राम सभा द्वारा भी अनुमोदित होना आवश्यक है।

चर्चा उपरान्त ग्रमीण विकास विभाग द्वारा अवगत करवया गया कि सभी सम्बंधित उप–मण्ललाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए है कि योजना के चयन में यदि किसी गलत/अपात्र वयक्ति का चयत होता है तो उसे रद्द किया जाए। माननीय गैर सरकारी सदस्य को भी यह सुझाव दिया गया है कि यदि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला है तो वह लिखित रूप में सम्बंधित उप–मण्डलाधिकारी(ना) को शिकायत कर सकते है। ताकि तदानुसार मामले में कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(12). हरीजन बस्ती दतवाड़ (ग्राम पंचायत दतवाड़) के वार्ड नम्बर 5 में अनुसूचित जाति की आबादी 95 प्रतिशत है। इस वार्ड में सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाये ।

(श्री वीर चन्द ग्राम लसराना, तहसील सन्धोल जिला मण्डी**)**

चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी ने अवगत करवाया कि इस सामुदायिक भवन के निर्माण के यदि माननीय गैर सरकारी सदस्य भूमि उपलब्ध करवाए तो सम्बंधित खण्ड विकास अअधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भिवा दें । तभी इस भवन के निर्माण हेतु नियमानुसार राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।

मद संख्याः—(13).विकास खण्ड गोपालपुर,सरकाघाट मण्डी में गलू हट्टी से राजकीय उच्च पाठशाला सुलपुर बट्टी वाया हरिजन बस्ती में पक्के रास्ते के निर्माण के लिए 2.00 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की जाये।

(श्री अर्जुन सिंह कौण्डल, प्रधान ग्राम पंचायत सुलपुर जवोठ, तहसील सरकाघाट)

चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी ने बताया कि यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

अतः मद समाप्त की गई।

मद संख्याः—(14). जिला चम्बा में ग्राम पंचायत देहरा में जडेरा, केहल, मैंगल, बनोग, बगड़ा तथा ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाये।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा ने बताया कि ग्राम पंचायत सिलाघ्राट में सामुदायिक भवन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जडेरा,केहल, बनोग के लिए प्राकलन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त चम्बा को निर्देश दिए कि उपरोक्त कार्यो को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु राशि उपलबध करवाई जाए।

मद संख्याः—(15). जिला चम्बा में ग्राम शौडीनाली कोहा ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट में शमशान घाट का निर्माण किया जाये।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

चर्चा के दौरान उपायुक्त चम्बा ने गैर सरकारी सदस्य को बताया कि वह ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट में शमशान घाट का निर्माण हेतु प्रस्ताव भिवा दें। अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त चम्बा को उक्त शमशान घाट के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ।

मद संख्याः(16). द्रग विधान सभा क्षेत्र की गाम पंचायत चक्कू के ग्राम नागणी में अनुसूचित जाति के लोगो की आबादी शत प्रतिशत है। अतः इस गांव में एक सामुदायीक भवन का निर्माण किया जाये ।

(श्री कृष्ण कुमार भोज, गाम तहसील पधर जिला मण्डी)

सदस्य सचिव ने बताया कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन की प्राप्त प्रस्तावनाएं पूर्व प्रशासकीय /व्यय स्वीकृति हेतु निदेशक, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले विभाग को भेजी जाती है। ग्राम पंचायत चुक्कू के ग्राम नागणी में अनुसूचित जाति के लोगों को सामुदायिक जाति के लोगों को सामुदायिक भवन से सम्बन्धित प्रस्तावना विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य में यदि ग्राम पंचायत चुक्कू के ग्राम नागणी में सामुदायिक भवन के निर्माण की प्रस्तावना विभाग में प्राप्त होती है तो उसे उक्त विभाग को आगमी स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(17). ग्राम ब्रीहॅूली तथा ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के बच्चों को 10+2की शिक्षा प्राप्त करने हेतु घने जंगल,गहरे नालो तथा ढांक वाले रास्ते से लगभग 10–11 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वर्तमान समय कक्षा दसवीं में 45 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अतः राजकीय उच्च विद्यालय सिल्लाघ्राट तहसील व जिला चम्बा का स्तर बढ़ा कर 10+2 किया जाये ।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजकीय उच्च विद्यालय सिल्लाघ्राट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर स्तरोन्नत करके वर्ष 2014–15 में कार्यमूलक कर दिया गया है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(18). ग्राम बगड़ा तथा भलोठ ग्राम पंचायत सीलाघ्राट जिला चम्बा में पहले ई0जी0एस0 केन्द्र चलाए जा रहे थे जो कि बन्द कर दिए गए है अतः उक्त गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाये

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः EDN-C-A(1)4/2013-Loose दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 के अनुसार ग्राम बगड़ा तथा भलोठ ग्राम पंचायत सीलाघ्राट जिला चम्बा में प्राथमिक पाठशालाएं खोल दी गई है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(1 9). हाई वे कुल्लू–मनाली तथा मनाली की सम्पर्क सड़कों की मैन्टेनैंस नियमित तौर पर की जाये।

(श्री दिले राम ग्राम व डा0 छियाल, मनाली)

सदस्य सचिव ने बताया कि हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार कुल्लू –मनाली (लेफट बैक) सड़क कि0मी0 2/500 से 41/375 कुल्लू मण्डल न0 द्वितीय द्वारा मुरम्मत की जाती है। इस सड़क में इस वर्ष (2013-14) वार्षिक मुरम्मत योजना के अन्तर्गत 4 कि0मी0 Renewal कार्य किया गया है व आगामी वर्ष में (2014-15) में लगभग 8 कि0मी0 Renewal कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त पूरी सड़क पर पैच का कार्य भी किया गया है। जहॉ तक मनाली की सम्पर्क सड़कों की मुरम्मत का प्रश्न है इसके लिए मनाली चुनाव क्षेत्र में कुल 9 कि0मी0 सड़कों पर Renewal कार्य किया गया है। इन सड़कों का ब्यौरा निम्नलिखित है

1. रायसन शिरड शिलीहार सड़क –1 कि0मी0
2. NH-21से जाणा सड़क –2 कि0मी0
3. नथान से जाणा सड़क –2 कि0मी0
4. NH-21से भरान –1 कि0मी0
5. मनाली डुंगरी सड़क –1 कि0मी0
6. लिंक रोड़ से वथार दशाल 15 मील –1 कि0मी0
7. लिंक रोड़ पलचान से कोठी –1 कि0मी0

कुल–9 कि0मी0

इसके अतिरिक्त मनाली की अन्य सम्पर्क सड़कों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार मुरम्मत की जा रही है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(20). सीलाघ्राट बस स्टैण्ड चम्बा से राजकीय उच्च पाठशाला सिलाघ्रट जिला चम्बा तक पक्का रास्ता, रिटैनिग वाल, वेस्टवाल का निर्माण किया जाये तथा सड़क चौडी की जाये।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सिल्लाघ्राट से राजकीय उच्च पाठशाला सिल्लाघ्राट तक का रास्ता किसी अन्य विभाग द्वारा बनाया गया

है । अतः यह रास्ता लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत नहीं पड़ता है। इस सड़क (रास्ते) की लम्बाई 350 मीटर है इस को पक्का करने, चौड़ा करने व रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल लगवाने हेतु लगभग 25.00 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसके प्राप्त होने पर कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(21). सीलाघ्राट चम्बा से ठुण्डू चम्बा तक बस योग्य सड़क का निर्माण किया जाये।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सिल्लाघ्राट से ठुण्डू तक बस योग्य सड़क बनाने हेतु अलग–अलग दिशाओं से सर्वेक्षण किया गया है, परन्तु जिन लोगों की जमीन शुरु में आ रही है, वह अभी तक जमीन देने को तैयार नहीं हुए है, इस सन्दर्भ में स्थानीय लोगों के साथ कई बार बैठक करके व ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रयास किए गए है परन्तु मामला हल नहीं हुआ है। जैसे ही सड़क बनाने हेतु भूमि उपलब्ध हो जाती है, आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। इस सड़क निर्माण में लगभग 150.00 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(22). वर्ष 2003 में जिला सिरमौर में शम्भुवाला तथा बनकाला के साथ मारकण्डा नदी पर 120 मीटर पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ था। किन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। अतः उक्त पुल के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाये ।

(श्री उपेन्द्र तोमर, बनकला, जिला सिरमौर **)**

चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि शुम्भुवाला से बनकला मार्ग पर मारकण्डा नदी के ऊपर पुल के निर्माण कार्य के लिए 517.00 लाख की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(23).जिला चम्बा में पेयजल योजना ठुण्डू पुखरी बनजोगू की लाईन 1985 से बिछी है । अतः इस लाईन की मुरम्मत की जाये ।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

चर्चा के दौरान हि0 प्र0 सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग द्वारा बताया गया कि पेयजल योजना ठुण्डू , पुखरी बनजोगु लाईन की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 18–2–2009 को 19.71 लाख की प्रदान की गई योजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा योजना पर 13.42 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है तथा 31 मार्च, 2016 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः(24). जिला सिरमौर में उप तहसील कमराऊ में सिंचाई योजना के तहत निर्मित शिराग कूहल को ग्राम पंचायत शिला के साथ पौंटासाहिब–शिलाई सड़क निर्माण के कारण क्षति होने से पिछले पांच वर्षो से अवरूद्व है जिस कारण इस क्षेत्र की 5 अनुसूचित जाति की बस्तियां प्रभावित हो रही है। अतः इस कूहल की मुरम्मत की जाये।

(श्री सुन्दर सिंह वर्मा ग्राम शिला, जिला सिरमौर)

चर्चा के दौरान हि0प्र0 सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग द्वारा बताया गया कि उप–तहसील कमराऊ में सिंचाई योजना के तहत विभाग द्वारा बहाव सिचांई योजना शिरोग ग्राम पंचायत शिल्ला का निमार्ण किया था। जो कि बरसात में एंव पावंटा शिलाई सड़क निर्माण के कारण कुछ जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा विभाग द्वारा अस्थाई रुप से पानी का वितरण किया गया है। इस योजना को स्थाई रुप से चलाने हेतु 5.00 लाख रुपये का प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान कर गई है तथा नवमबर, 2015 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः(25). जिला सिरमौर में उप तहसील कमराउ में सिंचाई योजना के तहत निर्मित कूहल ग्राम शिला के साथ नेरा खड्ड में मुरम्मत की जानी है। अतः इस कूहल की मुरम्मत की जाये।

(श्री सुन्दर सिंह वर्मा ग्राम शिला, जिला सिरमौर)

चर्चा के दौरान हि0प्र0 सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग द्वारा बताया गया कि नेरा खड्ड ग्राम शिल्ली के नाम से कोई भी सिंचाई योजना नही है। इस विभाग द्वारा बहाव सिचांई योजना छोईयो क्यार ग्राम पंचायत शिल्ला के नाम से बनाई गई है। जोकि बरसात के कारण कुछ जगहों से टूट गई है। जिसकी मुरम्मत हेतु प्राक्कलन 2.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा नवम्बर, 2015 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(26). जिला शिमला की तहसील चिड़गांव के डिसवानी ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती में विषणू देवता के प्राचीन मन्दिर की मुरम्मत हेतु लगभग 2.00 लाख रूपए की राशि स्वीकार करवाई जाये।

मद संख्याः–(27).जिला शिमला की तहसील चिड़गांव के खरशाली ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती दिवची में प्राचीन विषणू देवता के मन्दिर की मुरम्मत हेतु 3.00 लाख रूपए की राशि स्वीकार करवाई जाये।

मद संख्याः–(28). जिला शिमला की तहसील चिड़गांव के टिकरी ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती टिकरी में प्राचीन विषणू देवता के मन्दिर की मुरम्मत हेतु 2.00 लाख रूपए की राशि स्वीकार करवाई जाये ।

(श्री नागरू राम, दिवची,तहसील चिड़गांव)

सदस्य सचिव ने बताया कि भाषा एवं सांस्कृति विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार परियोजना–17 के अन्तर्गत उन धार्मिक संस्थानों/स्मारकों की मुरम्मत हेतु अनुदान देता है, जिनके भवन कम से कम 100 वर्ष पुराने हों तथा हिमाचली संस्कृति को दर्शाते हो एवं वह किसी की निजी सम्पति न हों तथा खड़े हों । इस सम्बंध में निम्नलिखित तीन मंदिरों के प्रकरणों के सम्बंध में विभाग द्वारा प्रकरण मंगवाए गए थे लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैः–

क्रमाक	मद संख्या	धार्मिक संस्था का नाम	पत्र प्रेषण संख्या/दिनांक
1	26	प्रधान प्राचीन विषणु देवता मन्दिर ग्राम पंचायत डिस्वानी, तहसील चिड़गांव जिला शिमला (हि0प्र0)	प्रेषण संख्याः 12722–12724 दिनांक 18–12–2013
2	27	श्री नागरू राम, प्रधान, प्राचीन विष्णु देवता मंदिर दिवची, ग्राम पंचायत खरशाली, तहसील चिड़गांव जिला शिमला (हि0प्र0)	प्रेषण संख्याः 12719–12721 दिनांक 18–12–2013
3	28	प्रधान, प्राचीन विष्णु देवता मंदिर टिकरी, ग्राम पंचायत टिकरी, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला (हि0प्र0)	प्रेषण संख्याः 12716–718 दिनांक 18–12–2013

अतः सम्बन्धित धार्मिम संस्थनों/स्मारकों से जैसे ही प्रकरण प्राप्त हो जायेंगे उनकी जॉच के उपरान्त यदि परियोजना के अनुसार प्रकरण सही पाए गए, तो सहायता अनुदान देने पर विचार किया जाएगा ।

चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सम्बंधित विभाग को निर्देश दिए कि उपरोक्त मन्दिरों के निर्माण हेतु शीघ्र राशि स्वीकृत की जाए।

मद संख्याः–(29). बनकला,डाकघर शम्भुवाला जिला सिरमौर में वर्तमान डिस्पैन्सरी को स्तरोन्नत करने हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है बारे अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाये।

(श्री उपेन्द्र तोमर, बनकला, जिला सिरमौर)

चर्चा के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि बनकला, डाकघर शुम्भुवाला जिला सिरमौर में वर्तमान डिस्पैंसरी को स्तरोन्नत करने के मामले मे मन्त्रीमण्डल से अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

मद संख्याः (30). हमारे क्षेत्र के लोग जो कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं,उन्हें टैक्सी परमिट आसानी से उपलब्ध करवाये जाये ताकि उन्हें लाभ मिल सकें।

(श्री दिले राम ग्राम व डा0 छियाल, मनाली)

सदस्य सचिव ने कहा कि राज्य परिवहन प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार टैक्सी परमिट प्रत्येक आवेदक तथा बेरोजगार युवकों को आसानी से उपलब्ध करावाए जाते है, बशर्ते कि वह नम्न शर्ते पूर्ण करते हों:–

(1) आवेदन प्रपत्र–45 पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन ।
(2) सत्यापित शपथ पत्र ।
(3) हिमाचली स्थाई निवासी प्रमाण पत्र ।
(4) आधार कार्ड की सत्यापति प्रति ।
(5) निर्धारित फीस ।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः– (31). मनाली क्षेत्र के लोग जो कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, को होटल,मकान व गैस्ट हाउस निर्माण के लिए नगर नियोजन से एन0ओ0सी0 आसानी से उपलब्ध करवाए जाये।

(श्री दिले राम ग्राम व डा0 छियाल, मनाली)

मद पर चर्चा के दौरान नगर नियोजन विभाग द्वारा माननीय गैर सरकारी सदस्य को बताया कि यदि उनका कोई स्पैसिफिक मामला हो तो इस सन्दर्भ में वह विभाग से सम्पर्क कर सकते है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(32). अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों पर अत्याचार होने की स्थिति में उन्हें न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्व मुकदमे की पैरवी करने हेतु मुफत कानूनी सहायता उपलबध करवाई जाये ।

(श्री खेम चन्द कश्यप, ग्राम घैणी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला)

सदस्य सचिव ने बताया कि हि0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निम्न अनुसार मुफत कानूनी सहाता उपलब्ध करवाई गई हैः–

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या
2013–14	138
2014–15	217
2015–16(जुलाई,15तक)	76

विधक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है वह निःशुल्क कानूनी सहायता का पात्र है जिनमेः–

(1) अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य ।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित देह–व्यापार या बेगार के शिकार व्यक्ति,

(3) महिला अथवा बच्चा,

(4) विकलांग व्यक्ति,(मानसिक तौर पर अस्वस्थ या निःशक्त)

(5)व्यापार विनाश, मानवीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाड़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश का शिकार कोई व्यक्ति

(6) हिरासत और सुरक्षा गृह, बालगृह,मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्याग1ह में रखा गया व्यक्ति,

(7) औद्योगिक कर्मकार, अथवा

(8) ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम अथवा ऐसी अन्य उच्चतर राशि, जो राज्य सरकार ने निर्धारित की हो यदि मुकद्दमा उच्चतम न्यायालय के इलावा किसी अन्य न्यायालय में है, या ऐसी अन्य उच्चतर राशि केन्द्र सरकार ने निर्धारित की हो यदि मुकद्दमा उच्चतम न्यायालय में है।

(9) हिजड़ा समुदाय

(10) वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और वार्षिक आय दो लाख से कम हो ।

विधिक सहायता का अर्थ व इसमें शामिल हाने वाली बातें :

(1) सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना ।

(2) न्यायिक शुल्क देना ।

(3) टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना ।

(4) गवाहों को बुलाने पर होने वाला खर्च ।

(5) मुकद्दमों से सम्बन्धित अन्य खर्च देना ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप–मण्डलीय विधिक सेवा समिति में वकीलों के पैनल का गठन किया गया है जोकि उपरोक्त निम्नलिखित कानूनी सहायता के पात्र व्यक्तियों की तरफ से पैरवी करते है।

सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति इनसे सम्पर्क कर सकते है।

(1) उच्च न्यायालय स्तर पर सचिव,(पंजीयक सतर्कता) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,

(2) जिला स्तर पर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा

(3) उप मण्डल स्तर पर उप–मण्डल के नियुक्त वरिष्ठ उप–न्यायाधीश एवं उप मण्डल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष।

इन प्राधिकरणों/समितियों को हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु प्र्याप्त धन का आबंटन किया जाता है।

(4) उपरोक्त के इलावा, पात्र व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सीधे सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधक सेवा प्राधिकरण, ब्लॉक नम्बर 22 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009 से भी सम्पर्क कर सकते है। सम्पर्क करने के लिए कार्यालय दूरभाष नम्बर 0177–2623862 व 2626962 भी उपलब्ध है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः</u>–(33). अनुसूचित जाति के गांव को मिलने वाली सुविधा जैसे पनिहार,पक्की गली, सौरउर्जा लाईट,टी0वी0 डिश आदि की सुविधा पात्र व्यक्तियों तथा सही गांव को ही मिलनी चाहिए ।

(श्री ओम प्रकाश, ग्राम प्लीयूर, चम्बा)

सदस्य सचिव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उर्जा विकास अभिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार हिमऊर्जा को अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत सीमित मात्रा में जिलावार बजट उपलब्ध होता है जिसे सम्वन्धित जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायक की कन्सैंट से ही बराबर मात्रा में सौर उर्जा स्ट्रीट लाइटों की स्थापना पर व्यय किया जाता है। अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत सौर उर्जा स्ट्रीट लाइटें उन्हीं गांवों में स्थापित की जाती हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों की लोगों की आवादी 40% या इससे अधिक अथवा 90 व्यक्ति या इससे अधिक हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त अगर पंचायतें चाहे तो पूर्ण मूल्य चुकाकर भी सौर उर्जा स्ट्रीट लाइटें हिमऊर्जा के माध्यम से लगवा सकती हैं।

<u>टी0वी0 डिश की सुविधा प्रदान करने बारे :</u>

उपायुक्त चम्बा चम्बा ने बैठक में बताया कि चम्बा जिला में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत दी जाने वाली टी0वी0 डिशें पात्र व्यक्यिों को ही दी जा रही है। सम्बधित पंचायत से इस आश्य का प्रमाण पत्र लिया जा रहा है कि व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बंधित पात्र लाभार्थी है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः</u>–(34). जिला कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण हेतु जो अनुदान अनुसूचित जाति के लोगों को <u>स्वीकृत किया जाता है वह पात्र व्यक्तियों को ही मिले जिनके पास कच्चे कोठे सरन पोश मकान है</u>।

(श्री ओम प्रकाश, ग्राम प्लयूर चम्बा)

उपायुक्त चम्बा ने बैठक में बताया कि गृह अनुदान योजना के अन्तर्गत नए रिहायशी मकान के निर्माण एवं मकान मुरम्मत हेतु उन्ही पात्र व्यक्तियों को अनुदान स्वीकार करने में प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास रिहायश योग्य अपना मकान न हो अथवा वह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हो या उनके पास कच्चे कोठे/सरनपोश मकान हो ।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः</u> (35). कृषि विभाग द्वारा किसानों को पाईप,पानी की टंकी तथा चारा काटने की मशीनों को क्रय करने के लिए जों अनुदान दिया जाता है उसमें उपदान की सीमा को बढ़ाया जाये।

(श्री सन्तोष कुमार, पूर्व प्रधान ग्रम पुबोवाल, ऊना)

सदस्य सचिव ने बताया कि कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अनुसूचित जाति के कृषकों को सिंचाई के लिए पानी पहुॅचाने वाली पाईप की खरीद पर केन्द्रीय पायोजित योजना के अंतर्गत 25/–रु0 प्रति मीटर अथवा कुल लागत मूल्य का 50 % इनमें जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत पानी की टंकी पर अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा आर0सी0सी0 के जल भंडारण टैंक पर 50 % अनुदान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत दिया है जिस की सीमा निम्न प्रकार से हैः–

	<u>भडारण क्षमता</u>	**<u>अनुदान</u>**
1.	20 क्यूबिक मीटर	रु0 36,000/–
2.	50 क्यूबिक मीटर	रु0 71,000/–
3.	75 क्यूबिक मीटर	रु0 1,01,000/–

चारा काटने की मशीनों हेतु अनुसूचित जाति के कृषिकों को 50 % (अधिकतम सीमा रु0 925/–तक) अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान सरकार द्वारा 2000–2001 में निर्धारित मानकों के आधार पर दिया जाता है तथा यह बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जहां तक अनुदान की सीमा को बढ़ाने का संबन्ध है। इसमें सूचित किया जाता है कि पानी पाईप व आर0सी0सी0 के पानी के टैंक केन्द्र की योजना के अंतर्गत आते है तथा इन पर अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। चारा मशीनों पर अनुदान सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 में फ्रीज़ (freeze)कर दिया था तथा उसी के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः(36). द्रग विधान सभा क्षेत्र की गाम पंचायत चक्कू के ग्राम उरला,गवाली और जिल्हण में कोई भी बैंक शाखा नहीं है। इन चारों पंचायतों का केन्द्र बिन्दु उरला पंचायत पड़ती है। अतः यहॉ पर लोगों की सुविधा के लिए बैंक की शाखा खोली जाये।

(श्री कृष्ण कुमार भोज, गाम तहसील पधर जिला मण्डी)

सदस्य सचिव ने बताया कि सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार द्रंग विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चक्कू के ग्राम उरला, गवाली और जिल्हण, जिला मण्डी में हि0प्र0 सहकारी बैंक की शाखा खोलने बारे सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण उपरान्त पाया गया है कि उपरोक्त स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बैंक की शाखा खोलने हेतू व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः(37). तहसील किलाड़ (पांगी)जिला चम्बा में ग्राम पंचायत साच की हरिजन बस्ती गांव उपरला कुठल को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाये ।

(श्री शौंकी राम तहसील किलाड़ (पांगी)जिला चम्बा)

विभागीय उत्तरः

आवासीय आयुक्त पांगी ने बैठक में बताया कि तहसील किलाड़ (पांगी)जिला चम्बा में ग्राम पंचायत साच की हरिजन बस्ती गांव उपरला कुठल को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने हेतु शीघ्र राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(38). जिला चम्बा के ग्राम बगड़ा में आंगनवाड़ी केन्द्र तथा ग्राम बनोग ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाए।

(श्री चुहडू राम , ब्रीहॅूली,चम्बा)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के गांव बगड़ा में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने बारे प्रस्ताव भारत सरकार को पत्र संख्या– एस0जे0ई0–एफ(10) 16/2013 दिनांक 10–2–2014 द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा गया है। भारत सरकार से उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात ही केन्द्र खोलने बारे कार्यवाही कर दी जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः–(39). पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों की निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति की बस्तियों में गांव के अन्दर के रास्ते पक्के करना तथा बावड़ियों की मुरम्मत शामिल है बन्द कर दी गई है । माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस येाजना को पुनः बहाल किया जाये।</u>

श्री नागरू राम, दिवची,तहसील चिड़गांव)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि पूर्व में संचालित हरिजन बस्ती सुधार योजना को दिनांक 11 नवम्बर, 2011 से मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना में विल्य कर दिया गया है। यह योजना सम्बंधित जिलाधीश के माध्यम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा चुनाव क्षेत्र के 2 अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक हो, अथवा कम से कम 200 व्यक्ति वास करते हों, ऐसे गांवों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क/ परिवहन , स्ट्रीट लाईट तथा उचित पर्यावरण व्यस्था प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा सामान्य वर्गो के बीच असमानता को दूर करके एक आदर्श गावं के रूप में विकसित करना है जिसके लिए 10.00 लाख की राशि प्रति गांव को गैप फिलिंग फण्ड के रूप में सम्बंधित जिलाधीश के माध्यम से स्वीकृत की जाती है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः–(40) सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा को कम से कम 30,000/– रूपए निर्धारित किया जाए ताकि अधिक पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके</u>।

(श्री नागरू राम, दिवची,तहसील चिड़गांव तथा श्री आसा राम ,ग्राम कत्यारा जिला सोलन)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा 35,000/–कर दी गई है तथा 80 वर्ष से उपर आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए कोई भी आय सीमा निर्धारित नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(41). जिला शिमला की तहसील चिड़गांव में खरशाली ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती बकोरा से घराटखड्ड, दोगरी, दियुची राजपटा तथा जड़कोट में सड़क निर्माण के लिए अनुसूचित जाति उप योजना से बजट का प्रावधान किया जाये किया जाये ।

(श्री नागरू राम, दिवची,तहसील चिड़गांव)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि जिला शिमला की तहसील चिड़गांव में खरशाली ग्राम पंचायत की हरिजन बस्ती बकोरा से घराट खड्ड, दोगरी, दियुची राजपटा तथा जड़कोट में सड़क का निर्माण के लिए कोड संख्या 2014–307–1052 के तहत इस वित्तीय वर्ष में 0.50 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः (42). तहसील चिड़गांव में ग्राम पंचायत शीला देश, हरिजन बस्ती लड़ोट को डंगरवाड़ी से बंगला तक सड़क निर्माण के लिए अनुसूचित जाति उप योजना से बजट का प्रावधान किया जाये ।

(श्री नागरू राम, दिवची,तहसील चिड़गांव)

सदस्य सचिव ने बैठक में माननीय गैर सरकारी सदस्य से अनुरोध किया कि चिड़गांव में ग्राम पंचायत शीला देश, हरिजन बस्ती लड़ोट को डंगरवाड़ी से बंगला तक सड़क निर्माण के लिए प्राकलन सहित पूर्ण प्रस्ताव अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग रोहडू के माध्यम से इस विभाग को भिजवाएं।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः–(43). कल्याण विभाग द्वारा जो सिलाई मशीने गरीब लड़कियों को दी जाती है उनकी वार्षिक आय सीमा कम से 20,000/– की जाये ।

(श्री सन्तोष कुमार, पूर्व प्रधान ग्रम पुबोवाल, ऊना)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि विभाग द्वारा संचालित अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा में 12–6–2014 से बढ़ौतरी करके 35,000/– कर दी गई है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः(44).कल्याण बोर्ड की बैठकें प्रत्येक जिला में आयोजित की जाये ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की उपस्थिति में किया जाये ।

(श्री के0सी0 भाटिया, अधिवक्ता, वार्ड नम्बर –3 हमीरपुर **)**

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड का गठन मान्नीय मुख्य मन्त्री महोदय हि0प्र0 की अध्यक्षता में किया गया है। इस कल्याण बोर्ड में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गणमान्य व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस कल्याण बोर्ड की बैठके प्रायः राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है जिसमें समस्त प्रशासन बैठक में उपस्थित रहता है । माननीय गैर सरकारी सदस्यों से जो भी मदें प्राप्त होती है अथवा उनके कोई बहुमुल्य सुझाव होते है तो उन पर बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त समय पर समाधान किया जाता है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः (45). सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन की सूचना सम्बंधित विभागों से मांगी जाए ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या वास्तव में पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं।

(श्री के0सी0 भाटिया, अधिवक्ता, वार्ड नम्बर –3 हमीरपुर)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि विभाग द्वारा 20–सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या– 10(ए) के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्रत्येक माह में मांगी जाती है तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा समय–समय पर राज्य तथा जिला स्तर पर की जाती है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

मद संख्याः (46). अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई,अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड इस वर्ग के लोगों के हक–हकूक को कायम रखने के लिए क्या–क्या प्रचार/ प्रसार कर रहा तथा वर्तमान में कल्याण बोर्ड किस प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित कर रहा ।

(श्री दलवीन्द्र, ग्राम भद्रकाली जिला ऊना तथा श्री साली राम ग्राम शांगरीबाग, जिला कुल्लू **)**

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आधार स्तर तक पंहुच सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के सम्मुख रूबरू करने के उद्वेश्य से मान्नीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड का गठन वर्ष 2004 में किया गया । इस कल्याण बोर्ड में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गणमान्य व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक मान्नीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26–8–2004 को सम्पन्न हुई।

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन साधारण तथा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ विभाग द्वारा प्रकाशित सार –संग्रह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से परिचर्चा द्वारा प्रदान की जा रही है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत,खण्ड,तहसील, उपमण्डल तथा जिला स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन जागरूकता शिविरों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन साधारण को प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए है कि इन जागरूकता शिविरों में आम जनता के अतिरिक्त हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के माननीय गैर सरकारी सदस्यों तथा जन प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाए ।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

<u>मद संख्याः</u> (47).हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड में कांगड़ा क्षेत्र के अन्य बुद्विजीवी लोगों को भी बतौर गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया जाये ।

(श्री प्रैमदास, ग्राम ठम्बा, तहसील खुंडिया, जिला कांगड़ा)

सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि हि0प्र0 अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड में प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के गणमान्य व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधत्व दिया गया है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त की गई।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि इन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुॅचाए ताकि पात्र व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों से कहा कि वह लोगों को योजनाओं के लाभ प्राप्त करने जो भी औपचारिकताएॅ पूर्ण करनी हों उसमें उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि समय –समय पर जो भी समस्याएं उनके ध्यान में आती है उन के समाधान हेतु बैठक की प्रतीक्षा न करते हुए उसकी सूचना विभाग को दें ताकि वह उसे सम्बधित विभाग से उठाएं तथा सम्बधित विभाग उसपर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से विभाग तथा गैर सरकार सदस्यों को सूचित करें ।

बैठक के अन्त में सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हि0प्र0 सरकार ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ,एवं अन्य सभी का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।